

॥ श्री ॥

निगरानी प्रकरण नम्बर

रा० रा० श्रीमान राजेश मण्डल म०५० खण्डमीठ इन्दौर

R. 869-PBR/14

श्री आर. पी. धामराठ  
आमिलाल कांडा कृष्ण  
उंडो परस्तुते

18/2/14  
R.M.

11/3/19

राजेश पिता बद्रीलाल  
आयु 40 साल, व्यवसाय खेती  
विकाना ग्राम पीर कराडिया  
तह सावेर जिला इन्दौर — प्राप्ति  
वि०

- |     |  |
|-----|--|
| ₹ १ | गंगाराम पिता श्री भागीरथ   |
| ₹ २ | लक्ष्मीनारायण पिता देवाजी  |
| ₹ ३ | रैश पिता देवाजी  |
| ₹ ४ | सिद्धनाथ पिता भुवान  |
| ₹ ५ | बन्सी पिता बद्रीलाल  |
| ₹ ६ | मनोज पिता बद्रीलाल   |
| ₹ ७ | दिनेश पिता बद्रीलाल<br>स्थी निवासी ग्राम पुवाण्डलाडा<br>तह सावेर जिला इन्दौर — पुतिप्राप्ति गिरण |

निगरानी प्राप्ति पत्र धारा 50 म०५० भ० रा० संहिताके तहत



प्राप्ति श्रीमान अतिरिक्त तहसीलदार महोदय श्री  
हुण्डा धम्मा तहसील सावेर जिला इन्दौर द्वारा पारित  
पुस्ती डिंग आदेश दिनांक 15/1 - 14 से दुखी व व्यथीत होकर  
जो उन्हीने राजस्व प्रकरण नम्बर 23/13 / 12-13 मै पारित  
किया था यह निगरानी आवेदन माननीय न्यायालय के समधि  
नम्मानुसार प्रस्तुत करता है कि

॥ प्रकरण के तथ्य ॥

## राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश, ग्वालियर

### अनुवृत्ति आदेश पत्रिका

प्रकरण क्रमांक निगरानी 869-पीबीआर/2014 जिला इंदौर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
20-2-2019	<p>आवेदकपक्ष की ओर से श्री आर0एस0घामरोले अधिवक्ता उपस्थित । अनावेदक क्रमांक 1 लगायत 4 की ओर से श्री बी0एल0गोमे अधिवक्ता उपस्थित । आवेदक द्वारा यह निगरानी तहसील न्यायालय के आदेश के विरुद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है । म0प्र0भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25-09-2018 से लागू हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर न्यायालय को भेजा जाता है । उभयपक्ष दिनांक 22-04-2019 को कलेक्टर के समक्ष सुनवाई हेतु उपस्थित हों ।</p>	  (मनोज गोयल) <b>अध्यक्ष</b>